

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर,
जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 - 727 / 2022

अनवान : -

1. अमीचन्द पुत्र चुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र जयकिशन जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. जैसाराम पुत्र काशीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. रमेशचन्द्र पुत्र भालसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
5. रामनिवास पुत्र भालसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
6. हरजी पुत्र चुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

-सायलान

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र श्योचन्द जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :- श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 27/01/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 14 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 के खाता स0 6/6 की कुल 4.0480 हैक्ट खातेदारी भूमि सायलान स0 1 ता 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा 14 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 के खाता स0 70/70 की कुल 1.7710 हैक्ट खातेदारी भूमि गैरसायल सं0 1 धर्मपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

सायलान अपनी खातेदारी में आवगमन हेतु गैरसायल सं0 1 की खातेदारी भूमि रोही मौजा 14 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 70/70 के प0न0 389/436 (15) के किला न0 14 व 15/2 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम चलकर सायलान अपने खेत रोही मौजा प्रवेश करते हैं, उक्त रास्ता सायलान के लिए सबसे नजदीक व सुविधाजनक है। इसके अलावा अन्य कोई भी रास्ता सायलान की खातेदारी में प्रवेश करने के लिए उपलब्ध नहीं है। सायलान की कृषि भूमि गैरसायल के चपते हुए है इसलिए सायलान गैरसायल को रास्ते के बदले अपनी कृषि भूमि रोही मौजा 14 डीपीएन के खाता स0 6/6 के प0न0 389/347(22) के किला न0 3, 8, 13 में 1-1 बिस्वा भूमि जो गैर सायल के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)




चिपते हुए है देने को तैयार है। इस प्रकार सायलान अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग—उपभोग के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद गैरसायल सं० 1 ने इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया तथा गैरसायल सं० 2 द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि सायलान अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग—उपभोग के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता का उपयोग करती है। इसके अलावा प्रार्थीया के पास अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं है। सायलान रास्ता की एवज की भूमि के बदले गैरसायल सं० 1 को भूमि देने को तैयार है जो अप्रार्थी द्वारा जवाब इकबाज प्रस्तुत कर स्वीकार किया गया है। इस प्रकार रोही मौजा 14 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं० 70/70 की 1.7710 हैक्ट भूमि के प०न० 389/436 (15) के किला न० 14 व 15/2 के दक्षिण दिशा में 1-1 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन है तथा सायलान रास्ते के बदले की भूमि गैरसायल सं० 1 को अपनी कृषि भूमि रोही मौजा 14 डीपीएन के खाता सं० 6/6 के प०न० 389/347(22) के किला न० 3, 8, 13 में 1-1 बिस्वा भूमि जो गैर सायल के चिपते हुए है देने को तैयार है। जिस पर वकील गैरसायल ने सहमति प्रकट की।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रोही मौजा 14 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 के खाता सं० 6/6 की कुल 4.0480 हैक्ट खातेदारी भूमि सायलान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। सायलान अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु अप्रार्थी की खातेदारी रोही मौजा 14 डीपीएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 के खाता सं० 70/70 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि के प०न० 389/436 (15) के किला न० 14 व 15/2 के दक्षिण दिशा में 1-1 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। जिसके लिए गैरसायल सं० 1 ने इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहमति प्रकट की है। सायलान रास्ते के बदले की भूमि गैरसायल को अपनी कृषि भूमि रोही मौजा 14 डीपीएन के खाता सं० 6/6 के प०न० 389/347(22) के किला न० 3, 8, 13 में 1-1 बिस्वा भूमि जो गैर सायल के चिपते हुए है देने को तैयार है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे रोही मौजा 14 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं० 70/70 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि के प०न० 389/436 (15) के किला न० 14 व 15/2 के दक्षिण दिशा में 1-1 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें तथा रोही मौजा 14 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं० 6/6 के प०न० 389/347(22) के किला न० 3, 8, 13 में 1-1 बिस्वा कुल 3 बिस्वा भूमि में सायलान सं०


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

1 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर गैरसायल स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 2-11-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सत्यनारायण)

R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर जिला हनुमानगढ़